न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अ[illegible]–श्री [illegible]रमाराम, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 59/2022

प्रार्थी — **बनाम** — **विप्रार्थीगण**

प्रार्थी

1. डायाराम पुत्र कुभाराम
2. थानाराम पुत्र मागाराम
3. श्रीमति ढपीदेवी पत्नी मागाराम जाति मेघवाल निवासी नाकोडा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. मानाराम पुत्र रूपाराम
2. पोलाराम पुत्र रूपाराम जातियान मेगवाल
3. कवरराजसिंह पुत्र हरीसिंह
4. खीमसिंह पुत्र हरीसिंह
5. श्रीमति मीरोदेवी पत्नी हरीसिंह जातियान वजीर
6. डायाराम पुत्र खीमाराम
7. चौथाराम पुत्र आसूराम
8. धेगाराम पुत्र आसूराम
9. मोहनी पुत्री आसूराम
10. लीलादेवी पुत्री आसूराम
11. वागाराम पुत्र आसूराम
12. सुआदेवी पत्नी आसूराम जातियान मेगवाल
13. रामाराम पुत्र केशाराम
14. प्रतापाराम पुत्र तीलोकाराम
15. पाचाराम पुत्र दीपाराम
16. कुभाराम पुत्र जवानाराम
17. तेजाराम पुत्र ईशराराम
18. धूडाराम पुत्र जवानाराम
19. बीजलाराम पुत्र इशराराम
20. कुभाराम [illegible]
21. [illegible] पुत्री दे[illegible]
22. [illegible]कुमार [illegible] बाईदेवी
23. चम्पाराम पुत्र [illegible]राम
24. जोगाराम पुत्र देवाराम
25. तुलछाराम पुत्र दुर्गाराम
26. निकिता पुत्री बाईदेवी
27. भैराराम पुत्र देवाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.17 15:34:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

28. भलाराम पुत्र दुर्गाराम
29. मगलाराम पुत्र दुर्गाराम
30. बीजाराम पुत्र मथराराम
31. पुराराम पुत्र मथराराम
32. प्रागाराम पुत्र भलाराम
33. भटाराम पुत्र भलाराम
34. भूराराम पुत्र भलाराम
35. मंगीदेवी पत्नी भलाराम
36. बीजाराम पुत्र भलाराम जातियान मेगवाल निवासीयान नाकोड़ा तहसील सिणधरी, बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री रामजीवन विश्नोई , अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 11.01.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत मौजा नाकोडा के खेत खसरा नम्बर 174 रकबा 6.9412 हैक्टर व खसरा नम्बर 83 रकबा 11.6739 हैक्टर किस्म बारानी सोयम खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा नाकोडा के खेत खसरा नम्बर 174 रकबा 6.9412 हैक्टर व खसरा नम्बर 83 रकबा 11.6739 हैक्टर किस्म [illegible] भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.17 15:34:24 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को [illegible] रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा नाकोडा के खेत खसरा नम्बर 174 रकबा 6.9412 हैक्टर

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

व खसरा नम्बर 83 रकबा 11.6739 हैक्टर किस्म बारानी सोयम भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा नाकोडा के खेत खसरा नम्बर 174 रकबा 6.9412 हैक्टर व खसरा नम्बर 83 रकबा 11.6739 हैक्टर किस्म बारानी सोयम भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा नाकोडा के खेत खसरा नम्बर 174 रकबा 6.9412 हैक्टर व खसरा नम्बर 83 रकबा 11.6739 हैक्टर किस्म बारानी सोयम भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि का रिकार्डेड सहखातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया किया जाकर मौजा नाकोडा के खेत खसरा नम्बर 174 रकबा 6.9412 हैक्टर व खसरा नम्बर 83 रकबा 11.6739 हैक्टर किस्म बारानी सोयम भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 11.01.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.17 15:34:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी